

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24/2026

आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लिमिटेड, ब्रांच आफिस तृतीय तल, जे०एस०ई०एल० बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर राज० पिन कोड 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी अल्का गुप्ता

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स श्री रामजी सप्लायर जरिये प्रोपराईटर धर्मवीर गहलोत, पता बस स्टेण्ड के पास, गोल्याणा, चिराना, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान पिन कोड 333303 एवं पता- पट्टा नम्बर 101, गोल्याणा बस स्टेण्ड के पास, ग्राम चिराना, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान 333303
2. श्री धर्मवीर गहलोत पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गहलोत, पता वार्ड नम्बर 36, बस स्टेण्ड गोल्याणा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान पिन कोड 333303
3. श्री रणवीर सिंह, पता वार्ड नम्बर 36, बस स्टेण्ड गोल्याणा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान पिन कोड 333303
4. श्री जगदीश सिंह एलियास जगदीश प्रसाद गहलोत, पता वार्ड नम्बर 36, बस स्टेण्ड गोल्याणा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान पिन कोड 333303 एवं पता- पट्टा नम्बर 101, गोल्याणा बस स्टेण्ड के पास, ग्राम चिराना, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान 333303

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 जिसे एतद् पश्चात् एक्ट के नाम से संबोधित किया गया है ऋणी/जमानती से प्रतिभूति सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेकर बैंक को दिलाने जाने के लिए।

उपस्थित:-

एडवोकट श्री अशोक कुमार शर्मा- प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 19.02.2026

प्रार्थी आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी के द्वारा लोन बाबत प्रार्थना पत्र बैंक में प्रस्तुत करने पर ऋण खाता संख्या 761505001289 ऋण राशि रूपये 26,16,682/- रूपये (अक्षरे छब्बीस लाख सोलह हजार छः सौ बियासी रूपये मात्र) उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में बंधक विलेख को निष्पादित कर अचल सम्पत्ति पट्टा/मिसल नम्बर 101, दिनांक 20.01.2009, ग्राम चिराना, गोल्याणा बस स्टेण्ड के पास, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, क्षेत्रफल एरिया 1200 वर्गमीटर है। अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाया परिणामस्वरूप उनके ऋण खाते को दिनांक 02.06.2025 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया व अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाता संख्या 761505001289 की कुल बकाया राशि रूपये 22,70,542.38/- रूपये (अक्षरे बाईस लाख सत्तर हजार पांच सौ बियालीस रूपये अडतीस पैसे मात्र) ऋण बकाया रकम व ब्याज दिनांक 02.08.2025 तक शेष व देय निकलते हैं। उक्त खाते में बकाया ऋण राशि को अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार भुगतान ना करने पर एन०पी०ए०

जिला कलक्टर झुंझुनूं

वर्गीकृत होने के बाद एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 02.09.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये थे उक्त मांग नोटिस के तामिल की पावती भी सलंगन है तथा उक्त नोटिस को मुख्य अखबार कमशः हिन्दी प्रातःकाल एवं दी इकॉनोमिक टाइम्स मे दिनांक 30.10.2025 को प्रकाशित भी करवाया गया जो कि अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गये परन्तु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा न तो सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा करवाई व न ही प्रतिभूति शुदा सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। अप्रार्थीगण को उपरोक्त नोटिस के अनुसार नोटिस की दिनांक से 60 दिवस मियाद अन्तराल ऋण खाता संख्या 761505001289 मे कुल बकाया राशि रुपये 22,70,542.38/- रुपये (अक्षरे बाईस लाख सत्तर हजार पांच सौ बियालीस रुपये अडतीस पैसे मात्र) ऋण बकाया रकम व ब्याज दिनांक 02.08.2025 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात् का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त का भुगतान करना था परन्तु अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नही की है परिणामस्वरूप बैंक को बकाया ऋण की वसूली करने के लिए प्रतिभूति सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेना आवश्यक हो गया है। उक्त एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति सम्पत्ति का भौतिक कब्जा अप्रार्थीगण से लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने के लिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। बैंक के पास प्रतिभूति सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है- अचल सम्पत्ति पट्टा/मिसल नम्बर 101, दिनांक 20.01.2009, ग्राम चिराना, गोल्याणा बस स्टेण्ड के पास, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, क्षेत्रफल एरिया 1200 वर्गमीटर है जो कि श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री घासीराम के स्वामित्व की है जिसकी चतुर्थ सीमायें निम्न प्रकार है:- पूर्व की ओर पूराराम मेघवाल की भूमि एवं सडक मार्ग, पश्चिम की ओर गोल्याणा नवलगढ सडक मार्ग, उत्तर की ओर पूराराम मेघवाल की भूमि एवं मकान, दक्षिण की ओर सीकर उदयपुरवाटी सडक मार्ग। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 मे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा अप्रार्थीगण से लेकर प्रार्थी बैंक को दिलाने के लिए पर्याप्त बल प्रदान करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।


हमने प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगणको व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड

जिला कलेक्टर झुंझुनूं

द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा/मिसल नम्बर 101, दिनांक 20.01.2009, ग्राम चिराना, गोल्याणा बस स्टेण्ड के पास, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, क्षेत्रफल एरिया 1200 वर्गमीटर है जो कि श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री घासीराम के स्वामित्व की है जिसकी चतुर्थ सीमायें निम्न प्रकार हैं:- पूर्व की ओर पूराराम मेघवाल की भूमि एवं सडक मार्ग, पश्चिम की ओर गोल्याणा नवलगढ सडक मार्ग, उत्तर की ओर पूराराम मेघवाल की भूमि एवं मकान, दक्षिण की ओर सीकर उदयपुरवाटी सडक मार्ग है का पजेशन प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 19.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला क्लर्क एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं